

प्रेस नोट दिनांक 22.10.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़-

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल से दान पेटिका चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर चोरी की गई दान पेटिका व ₹130/- बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा चोरी से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की गई दान पेटिका तथा जामा तलाशी से ₹130/- बरामद किए गए।

घटना का विवरण-

वादी निवासी ग्राम सराय भवानी सिंह, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा के पास रखी चंदे की दान पेटिका, जिसमें लगभग ₹15,000/- रखे थे, चोरी होने के संबंध में सूचना दी गई। दिनांक 20.10.2026 की रात्रि राजेन्द्र पटेल पुत्र दूधनाथ पटेल, निवासी ग्राम सराय भवानी सिंह, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा उक्त दान पेटिका चोरी कर ली गई। इस संबंध में मु0अ0सं0 202/2026 धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत 01 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्वेक्षण में व थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में दिनांक 20/10/2026 अंशु सिंह सेंगर मय हमराह का0 वीरपाल एवं रि0का0 विवेक यादव मुकदमे की विवेचना एवं अभियुक्त की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर बंधा तिराहे के पास से अभियुक्त राजेन्द्र पटेल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने दुर्गा पूजा पंडाल से दान पेटिका चोरी कर उसमें रखे रुपये निकालने तथा पेटिका को गांव के बाहर झाड़ियों में फेंकने की बात बताई। अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की गई दान पेटिका बरामद की गई। अभियुक्त की जामा तलाशी से ₹130/- भी बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राजेन्द्र पटेल पुत्र दूधनाथ पटेल, निवासी ग्राम सराय भवानी सिंह, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की गई 01 अदद दान पेटिका।

₹130/- नकद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अंशु सिंह सेंगर मय हमराह का0 वीरपाल एवं रि0का0 विवेक यादव, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़-

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना के संबंध में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई।

प्रतापगढ़-

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ पर मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में मु0अ0सं0 199/2026 धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। बरामदगी के आधार पर संबंधित अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 जीयन कुमार व का0 अखिलेश कुमार पाण्डेय द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त एवं चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान अभियुक्त दीपक विश्वकर्मा पुत्र रामनरेश विश्वकर्मा, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम मसनी, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चोरी की टीवीएस स्टार मोटरसाइकिल, रजिस्ट्रेशन नंबर UP 44 L 3186, रंग लाल, बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दीपक विश्वकर्मा पुत्र रामनरेश विश्वकर्मा, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम मसनी, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 अदद चोरी की टीवीएस स्टार मोटरसाइकिल, रजिस्ट्रेशन नंबर UP 44 L 3186, रंग लाल।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 जीयन कुमार व का0 अखिलेश कुमार पाण्डेय, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट से सम्बन्धित 01 महिला वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट से सम्बन्धित 01 महिला वारण्टी को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 22.10.2026 को उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का0 बाबूलाल यादव, का0 अजीत सिंह एवं म0का0 शक्ति अवश्य यादव मय चालक का0 सुजीत यादव के साथ क्षेत्र में देखभाल, वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की तलाश में रवाना थे। इसी दौरान ग्राम गिरधर सराय का पुरवा, तिना स्थित घर पर मौजूद महिला वारण्टी कमला देवी पत्नी अर्जुन, निवासी ग्राम गिरधर सराय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 41 वर्ष को माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट से अवगत कराते हुए दिनांक 22.10.2026 को पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार वारण्टी का विवरण-

कमला देवी पत्नी अर्जुन, निवासी ग्राम गिरधर सराय का पुरवा, तिना, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 41 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

एसटी संख्या- 336/23, मु0अ0सं0- 29/22, धारा 302/34/323 भादवि, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का0 बाबूलाल यादव, का0 अजीत सिंह, म0का0 शक्ति अवश्य यादव, चालक का0 सुजीत यादव थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़